उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
संख्या–367 / 38–6–12–1जीआई / 2010–टी0सी0– ।।
लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी. सी.2011) कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से **01 जून, 2012** से कराये जाने की घोषणा अधिसूचना संख्या–365 / 38–6–12–1जीआई 2010–टी0सी0– ।। दिनांक–13 अप्रैल, 2012 के द्वारा की जा चुकी है। उक्त के क्रम में श्री राज्यपाल समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सम्पन्न कराने हेतु **'प्रधान सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना अधिकारी (Principal SECC-2011 Officer)'** नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद / संसदीय कार्य विभाग।
6. प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय / विधायी विभाग।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. राज्य समन्वयक(स्टेट नोडल आफिसर) / आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0 लखनऊ।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय / राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) / सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
15. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के प्रकाशन हेतु।
16. उप महाप्रबन्धक / राज्य नोडल आफिसर, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, लखनऊ।
17. अपर राज्य समन्वयक / अपर आयुक्त, (प्रशासन / मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Rsewak
(राम सेवक)
अनु सचिव।